

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्डुनु

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस  
मिसल नं.- 64/2022  
सरकार बनाम हजारीलाल पुत्र फूलचन्द, जाति माली,  
निवासी वार्ड न. 22 सुरजगढ

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 11.01.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हजारीलाल पुत्र फूलचन्द, जाति माली निवासी वार्ड न. 22 सुरजगढ द्वारा रोही मौजा सूरजगढ की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 582 के कुल रकबा 0.11 है. किस्म गै. मु. जौहड में से 0.055 है. भूमि पर कचरे की ढेरी एवं लकडियां डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 17 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे।। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे।मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विषय-22-238 राजकीय  
4 से 20 नं 02 पटवारी  
17/1/2023 काल की गई  
[Signature]

[Signature]

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ